



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 532 / 12-1

दिनांक 22 / 08 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनानी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/21822/2016

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या- 8B/UCP/06/94/2019/FC/157, दिनांक 30.04.2025 एवं आपका पत्रांक-2873/12-1, दिनांक 29.05.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण के सापेक्ष मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान/पातन स्वीकृत संरेखण में ही किया गया है तथा स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नहीं हुआ है, सम्बन्धी अधोहस्ताक्षरी की स्थलीय निरीक्षण आख्या अपेक्षित है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 15.05.2025 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि मोटर मार्ग का संरेखण, जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनों तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। वर्तमान में उसी संरेखण में मोटर मार्ग में वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गयी है, उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है, तथा उसी संरेखण में मोटर मार्ग का कटिंग कार्य भी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधियों के द्वारा भी अवगत कराया गया है डी०पी०आर० प्रस्ताव गठन करने के समय के०एम०एल० फाईल तथा जिओ रैफरेन्स मैप, मोटर मार्ग के संरेखण पर लिये गये कार्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के०एम०एल० फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की निरीक्षण आख्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रैतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(जीवन एम० दगड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 532 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-2, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जीवन एम० दगड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

दिनांक- 15.05.2025 को श्री जीवन मोहन दगड़े, प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तावित संरेखण के भ्रमण की निरीक्षण टिप्पणी:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के शासकीय पत्र संख्या- 08बी०/यू०सी०पी०/06/94/2019/एफ०सी०/157 दिनांक 30.04.2025 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ आज दिनांक 15.05.2025 को जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री किशोर नौटियाल (उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर), श्री प्रबोध पाण्डे (वन क्षेत्राधिकारी सकलाना राजि), प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये हैं-

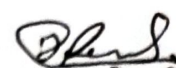
1. प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 8.125 किमी० है, जिसमें जिसमें नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत 0.7000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.4130 हे० सिविल सोयम भूमि एवं 0.2790 हे० नाप भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसमें नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत कुल 49 विभिन्न व्यासवर्ग/ प्रजाति के वृक्षों का छपान एवं पातन किया गया है।

2. मोटर मार्ग के संरेखण का भौतिक निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण, जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनों तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। तत्समय उसी संरेखण में मोटर मार्ग में वृक्षों की गणना व मार्किंग की गयी है तथा उन्ही 49 प्रभावित वृक्षों का पातन किया गया है एवं उसी संरेखण में मोटर मार्ग का कटिंग कार्य भी किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान एवं पातन स्वीकृत संरेखण में ही किये जाने की पुष्टि की गयी है तथा मौके पर स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नहीं किया जाना पाया गया है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित एवं राष्ट्रहित में आवश्यक है।


वन बीट अधिकारी,
बीट।


अनुभाग अधिकारी,
अनुभाग।


वन क्षेत्राधिकारी,
सकलाना राजि,
बना (टि० व०)।


अपर सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड,
नई टिहरी।


सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड,
नई टिहरी।


अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड,
नई टिहरी।


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरती।



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 609 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 14 / 08 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर रोड़ के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/21822/2016)।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून पत्र संख्या 8B/UCP/06/94/2019/FC/157, दिनांक-30.04.2025 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-2873/12-1, दिनांक 29.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव में उक्त मार्ग के स्वीकृत संरक्षण में विचलन के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है। इस सन्दर्भ में वन विभाग एवं पी०एम०जी०वाई० के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक-11.07.2025 को स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मौके पर विषयांकित मोटर मार्ग के स्वीकृत संरक्षण में किसी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नहीं हुआ है।

अतः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है, अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(अमित कवर)

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक :- 609 / 12-1 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, टिहरी गढ़वाल।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संयुक्त निरीक्षण आख्या-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0, दिनांक 30.04.2025 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 40/12-1, दिनांक 03.07.2025 के क्रम में आज दिनांक 11.07.2025 को जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनानी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड मोटर मार्ग तक का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण वन विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मौका स्थलीय निरीक्षण की आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

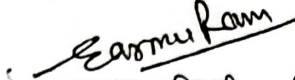
1. प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 8.125 किमी0 है, जिसमें से मसूरी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.5525 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.1610 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.3150 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.4230 है0 नाप भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसमें मसूरी वन प्रभागान्तर्गत कुल 103 विभिन्न व्यास वर्ग/प्रजाति वृक्षों का छपान एवं पातन किया गया है।

2. मोटर मार्ग के संरेखण का भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण, जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनों तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। तत्समय में उसी संरेखण में मोटर मार्ग में बाँधित वृक्षों की गणना व मार्किंग की गयी है, उन्हीं 103 बाँधक वृक्षों का पातन किया गया है एवं उसी संरेखण में मोटर मार्ग में कटिंग कार्य किया जाना पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान एवं पातन स्वीकृत संरेखण में ही किये जाने की पुष्टि कर ली गई है, मौके पर स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नहीं किया जाना पाया गया है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित एवं राष्ट्रहित के विकास हेतु आवश्यक है।

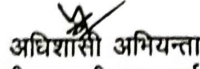

वन वोट अधिकारी,
रिगालगढ द्वितीय बीट

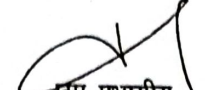

अनुभाग अधिकारी,
रिगालगढ अनुभाग


वन क्षेत्राधिकारी,
रायपुर राजि


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड-2,
नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड-2,
नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड-2,
नई टिहरी


उप प्रभागीय
वनाधिकारी, देहरादून,
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodal@forest@uk.gov.in,

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-२७७३ / 12-1 : देहरादून: दिनांक: २९ मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय:- जनपद-टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/21822/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र संख्या 8B/UCP/06/94/2019/FC/157 दिनांक 30.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.5.2025 को प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्न बिन्दु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है:-

- 1- DFO concerned will submit his inspection note and verify the fact that felling of trees has been carried out within the actual approved alignment and there is no deviation the alignment.

अतः उपरोक्त बिन्दु के क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)